डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 95/2024

अनवान : –

1. धर्मपाल सिंह पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा बारा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. फकीराराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. दलीप कुमार पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा।
3. इन्द्रादेवी पुत्री फकीराराम पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना हाल अलीका त0 व जिला सिरसा।
4. शंकुतला पुत्री फकीराराम पत्नी पटवारीराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना हाल अलीका त0 व जिला सिरसा।
5. सिलोचना पुत्री फकीराराम पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा हाल चौहिलावाली त0 व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
7. भूरीदेवी पत्नी फकीराराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 70/62 की कुल 6.5780है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फकीराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 की बजाए वादी धर्मपाल सिंह प्रतिवादी सं0 1 फकीराराम प्रतिवादी सं0 2 दलीप कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-09-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

10-09-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.11 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 95 / 2024

अनवान : —

1. धर्मपाल सिंह पुत्र फकीरराम जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा बारा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. फकीरराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. दलीप कुमार पुत्र फकीरराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा।
3. इन्द्रादेवी पुत्री फकीरराम पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना हाल अलीका त0 व जिला सिरसा।
4. शंकुतला पुत्री फकीरराम पत्नी पटवारीराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना हाल अलीका त0 व जिला सिरसा।
5. सिलोचना पुत्री फकीरराम पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा हाल चौहिलावाली त0 व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
7. भूरीदेवी पत्नी फकीरराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र शर्मा वादी
श्री राधेश्याम प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 70 / 62 की कुल 6.5780है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फकीरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी[illegible] आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब [illegible] किया गया। साक्ष्य वादी में वादी धर्मपालसिंह द्वारा [illegible] शपथ [illegible] प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.11 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 70/62 की कुल 6.5780है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फकीराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 एवं 7 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1-2 के पक्ष के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 70/62 की कुल 6.5780है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फकीराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 की बजाए वादी धर्मपाल सिंह प्रतिवादी सं0 1 फकीराराम प्रतिवादी सं0 2 दलीप कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-09-24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-09-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.11 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner